

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/ 879.

दिनांक:- 19/11/15

आदेश

प्रताप नगर आवासीय योजना खण्ड-दशम् के अधीन सैक्टर-26, जोन-267 प्रतापनगर सांगानेर, जयपुर के 13 आवासों का निस्तारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण किये जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	House/Plot No.	Size (in Sqm)	Area (in Sqm)
1	267/607	8.75 x 16.00	140.00
2	267/608	7.00 x 16.00	112.00
3	267/609	7.00 x 16.00	112.00
4	267/610	7.00 x 16.00	112.00
5	267/611	7.00 x 16.00	112.00
6	267/612	7.00 x 16.00	112.00
7	267/613	7.00 x 16.00	112.00
8	267/614	7.00 x 16.00	112.00
9	267/615	7.00 x 16.00	112.00
10	267/616	7.00 x 16.00	112.00
11	267/617	7.00 x 16.00	112.00
12	267/618	8.75 x 16.00	140.00
13	267/629	6.75 x 16.00	108.00

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम नीलामी से पूर्व यह सुनिश्चित कर दे कि आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवासीय भूखण्डों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवासीय भूखण्ड नीलामी हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे तथा आवासीय भूखण्डों का निस्तारण नीलामी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है, यह पूर्णतया सुनिश्चित किया जावे एवं प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है।

नोट - उक्त आदेश परियोजना समिति द्वारा आवश्यक संशोधन के अनुमोदन की अपेक्षा में प्रसारित किये जा रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम एवं अतिरिक्त नगर नियोजक परियोजना समिति की 130वीं बैठक के बिन्दु संख्या-5 में आवश्यक संशोधन पश्चात् ही कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों को पत्रावली के पैरा 17 व 18/एन पर आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त --प्रथम, रा0आ0म0 जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड दशम्, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक